



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62616

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2921/2026

आलोक मिश्रा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: सर्वेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 33/2025, धारा 69, 316(2), 318(4) बी.एन.एस. 2023, थाना - मुंगराबादशाहपुर, जिला जौनपुर के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं: -
 - i. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) विलंब से दर्ज की गई है।
 - ii. प्रारंभ में, एफ.आई.आर. बी.एन.एस. की धारा 64, 316(2) और 318(4) के तहत दर्ज की गई थी।
 - iii. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज बयान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आवेदक और पीड़िता प्रेम संबंधों में थे, जिस तथ्य को एफ.आई.आर. में छुपाया गया है।
 - iv. मामले को बी.एन.एस. की धारा 69, 316(2) और 318(4) के तहत परिवर्तित कर दिया गया है।
 - v. "अपराधिक विश्वासघात" और "छल" का अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकता जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2024) 10 एससीसी 690 में निर्धारित किया गया है।
 - vi. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
 - vii. पीड़िता असम की निवासी है और आवेदक तथा पीड़िता सोशल मीडिया के माध्यम से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एक-दूसरे के संपर्क में आए।

viii. विवाह का कोई झूठा वादा नहीं है।

ix. पीड़िता एक विवाहित महिला है और उसका तलाक नहीं हुआ है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है; हालाँकि, वे इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक और पीड़िता प्रेम संबंधों में थे। अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के किसी भी आपराधिक इतिहास की ओर संकेत नहीं कर सके।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
6. एफ.आई.आर. विलंबित है और 13.02.2025 को दर्ज की गई है जबकि घटना 06.01.2023 से 03.01.2025 के बीच घटित होना बताया गया है। एफ.आई.आर. प्रारंभ में बी.एन.एस की धारा 64, 316(2) और 318(4) के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। बी.एन.एस.एस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान एफ.आई.आर. में प्रस्तुत की गई तस्वीर से अलग तस्वीर पेश करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता लंबे समय से संबंधों में थे। न्यायालय की राय में, ऐसे लंबे समय के संबंधों को बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, "छल" और "अपराधिक विश्वासघात" का अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकता जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2024) 10 एससीसी 690 और अरशद नेयाज खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य 2025 लाइव लॉ एससी 950 में निर्धारित किया गया है।
7. मामले के उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई रिपोर्ट किया गया आपराधिक इतिहास नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- आलोक मिश्रा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषजनक समान राशि का एक व्यक्तिगत बंध पत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:
 -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

कुशल

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"